6

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः–सीएफओ/एफएस/फा0आडिट/ 2021 दिनॉक– 10 अप्रैल 2021

सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक
इविंग क्रिश्चियन पब्लिक सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,
712, मुठ्ठीगंज प्रयागराज।

विषय–इविंग क्रिश्चियन पब्लिक सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, 712 मुठ्ठीगंज प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बनध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक इविंग क्रिश्चियन पब्लिक सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल 712, मुठ्ठीगंज प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओ/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

1– स्कूल भवन भूतल, प्रथम तल व द्वित्तीयतल तक निर्मित स्थल तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन जा सकते है।

2– **फायर एक्सटिंग्यूशर** (प्राथमिक अग्निशमन उपकरण) फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0आई0 मानक 2190 के अनुसार प्रत्येक तल पर स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये। जिसका निरीक्षण व परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

3– **होजरील डाउन कमर**– भवन के प्रत्येक तल पर होजरील/डाउन कमर तथा लैण्डिग वाल्व स्थापित किया गया है।

4– **टेरिस टैंक/टेरिस पम्प**– भवन के टेरिस पर 10,000 लीटर क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित किया गया है, 450 एलपीएम क्षमता का पम्प स्थापित किया जाए।

5– भवन में निकास मार्ग उपलब्ध है। फायर स्टेशन का मो0 नं0 अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

1–प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना आपेक्षित है।

2–किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना आपेक्षित है।

4–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायें तथा इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय इसकी जानकारी सुरक्षा कमिर्यो को प्रदान की जाना आपेक्षित है।

5–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फार्यर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथ निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7–अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

10/4/21

(आर0एस0मिश्रा)
(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज